कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

पत्र क्रमांक: एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024-25/ **दिनांक:** 12.03.2025

निमित्त

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

विषय: रामगढ़ माता जी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/34310/2022 (9.0600 हेक्टेयर)

संदर्भ:

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक 4 दिनांक 15.01.2025
- नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) का पत्र क्रमांक 7304 दिनांक 23.08.2023
- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 7119 दिनांक 23.07.2024
- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 9207 दिनांक 03.12.2024

महोदया,

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि रामगढ़ माता जी परिक्रमा मार्ग, जो कि रामगढ़ क्रेटर के चारों ओर 12.150 किलोमीटर लंबी सड़क होगी, के निर्माण हेतु 9.06 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव है। इस परियोजना की प्रयोक्ता एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहबाद खंड है।

प्रस्तावित सड़क वन खंड रामगढ़ से होकर गुजरती है, जो रामगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है, जिसकी अधिसूचना क्रमांक प.एफ. संख्या 4 (12) वन/2017 जयपुर दिनांक 28.10.2021 है।

प्रयोक्ता एजेंसी ने प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/34310/2022 के तहत ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चूंकि यह प्रस्ताव संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में आता है, इसलिए नोडल अधिकारी महोदय (एफ.सी.ए.) ने अपने पत्र क्रमांक 7304 दिनांक 23.08.2023 के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय की टिप्पणी मांगी थी।

इस कार्यालय ने अपने पत्र क्रमांक 7119 दिनांक 23.07.2024 के द्वारा आपसे इस प्रस्ताव पर टिप्पणी हेतु मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक कार्यालय जयपुर को भेजने का अनुरोध किया था। इसके बाद, नोडल अधिकारी ने आपत्ति (EDS) दर्ज की और मामला पुनः आपके स्तर पर भेजा गया, जिसे आपके कार्यालय द्वारा पुनः इस कार्यालय के पास अग्रेषित कर दिया गया। अधोहस्तक्षरकर्ता ने दिनांक 03.12.2024 को व्यक्तिगत रुप से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक कार्यालय जयपुर में जाकर सभी दस्तावेज टिप्पणी हेतु प्रस्तुत किए। दिनांक 10.12.2024 को आयोजित PSC मीटिंग में भी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय की टिप्पणी के बारे में आक्षेप पर चर्चा के दौरान भी यह अवगत करा दिया गया था कि फाइल मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक महोदय को टिप्पणी हेतु भिजवा दी गई है। जिस पर नोडल अधिकारी महोदया ने प्रयोक्ता अभिकरण को भी फाइल पर cwlw महोदय की टिप्पणी के लिए प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया । मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने अपने पत्र क्रमांक 4 दिनांक 15.01.2025 के माध्यम से प्रस्ताव पुनः आपके पास टिप्पणी हेतु भेज दिया है।

अतः प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि यह कार्यालय जनहित में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा करता है। अनुशंसा की प्रति संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इसे मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक कार्यालय जयपुर को अग्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक बारां

संलग्नक:

- प्रस्ताव की प्रति
- अनुशंसा की प्रति

प्रतिलिपि:

1. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहबाद खंड

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Yadav
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2025.03.12 07:13:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14142347